कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0
प्रार्थी :- सर्वश्री राज मेटल स्टोर , रजि0आफिस 493 शिव शक्ति नगर मेरठ ।
प्रार्थना पत्र सं0 :- 12 / 2008
प्रार्थी की ओर से :- श्री राज कुमार गुप्ता फर्म प्रोपराइटर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री राज मेटल स्टोर , रजि0आफिस 493 शिव शक्ति नगर मेरठ के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक रहित प्रार्थना पत्र दिनांक 22-1-08 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गये है:-

'' एल्यूमिनियम शीट व एल्यूमिनियम सर्किल पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित करअध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत '' कर की दर क्या होगी ?"

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 638 दिनांक 22-1-08 से एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ से आख्या मॉगी गई । जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुई है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 20-2-08 पर श्री राज कुमार गुप्ता फर्म प्रोपराइटर उपस्थित हुये । धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया और कहा कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की अनुसूची -2 के भाग-अ के क्रमांक -48 पर अंकित प्रविष्टि ''Ferrous & non- ferrous metals & alloys , non- metals .such as aluminium, copper, zinc & extrusions of those .'' पर 4% की दर से करदेयता है।एल्यूमिनियम शीट व एल्यूमिनियम सर्किल एल्यूमिनियम के Extrusion Product है । अत: इन पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

4- मैनें विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया । व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या K.A.N.I.-2-523/ XI-dt- 17-2-2000 के क्रमांक -53 मे एल्यूमीनियम के एक्स्टूजन्स प्रोडक्टस मे निम्न को माना गया है ।

(B) Extrusion products of aluminium :-

(i) Rods - flat, hexagonal, square or of any other similar shape.
(ii) Tubes - round, square, rectangular, oval or of any other similar shape.
(iii) Angles and channels.
(iv) Sections of various structural designs, for example T section, I section, H section.

इस विज्ञप्ति के अनुसार एक्टूजन प्रोडेक्ट आफ अल्यूमिनियम के अन्तर्गत एल्यूमिनियम शीट व एल्यूमिनियम सर्किल नहीं आते है । अत: व्यापारी द्वारा दिया गया तर्क विधिक रुप से उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 के अर्न्तगत अनुसूची-1 से अनुसूची 4 में एल्यूमिनियम शीट व एल्यूमिनियम सर्किल वर्गीकृत नहीं है । अत: एल्यूमिनियम शीट व एल्यूमिनियम सर्किल पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की अनुसूची 5 के अन्तर्गत 12.5% की दर से करदेयता होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है

7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 20, फरवरी ,2008

ह0 20-2-08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com